

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम

“भण्डारण भवन”

टी0वी0एस0 परिसर, नियर इन्दिरा चौक काशीपुर रोड-रूद्रपुर,(ऊधमसिंह नगर)
दूरभाष/फैक्स न0-05944-240251, ई-मेल-ukswcho@gmail.com

चयन प्रक्रिया हेतु विवरण

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम में वर्ग-3 के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में निगम को रिक्तियाँ निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाय।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी	
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांग जन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%			
01	लेखाकार/ आडिटर	9300-34800/4200 (लेवल-06)	सामान्य	01	-	-	-	-	-	-	01	
02	भण्डार अधीक्षक	5200-20200/2400 (लेवल-04)	सामान्य	01	-	-	-	-	-	-	01	
03	भण्डार सहायक	5200-20200/2000 (लेवल-03)	अनुसूचित जाति	02	-	-	-	-	-	-	02	
			अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	-	-	-	-	-	01	-
			सामान्य	04	01	-	-	-	-	-	01	03
04	कनिष्ठ सहायक	5200-20200/2000 (लेवल-03)	सामान्य	01	01	-	-	-	-	01	-	
05	प्राविधिक सहायक	5200-20200/2000 (लेवल-03)	सामान्य	01	-	-	-	-	-	-	01	
06	सहायक लेखाकार	5200-20200/2800 (लेवल-05)	अनुसूचित जाति	01	-	-	-	-	-	-	-	01
			सामान्य	01	-	-	-	-	-	-	-	-
योग				13	03	-	-	-	-	03	10	

आवेदन पत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत हैं:-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	06.01.2022
आवेदन की प्रारम्भ तिथि	08.01.2022
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	31.01.2022

आवेदन फार्म, पदों की संख्या, आयुसीमा, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा विवरण आदि समस्त जानकारी निगम की वेबसाइट www.ukswc.org में दिये गये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम

“भण्डारण भवन”

टी0वी0एस0 परिसर, नियर इन्दिरा चौक काशीपुर रोड—रूद्रपुर,(ऊधमसिंह नगर)
दूरभाष/फैक्स न0-05944-240251, ई-मेल-ukswcho@gmail.com

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 के पत्र सं0 38/xiv-1/21-7(3)/2016 दिनांक 17 फरवरी 2021 के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन स्टाफ नियम 1961 (यथा संशोधित, उत्तराखण्ड में लागू) में निहित प्राविधानों के अनुसार निगम में रिक्त विभिन्न संवर्ग के 13 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में निगम को रिक्तियों निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापित को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाय।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	06.01.2022
आवेदन की प्रारम्भ तिथि	08.01.2022
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	31.01.2022

(निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा आवेदन पत्र पहुँचने में होने वाले विलम्ब के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।)

1. पदनाम – लेखाकार/आडिटर

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षेत्रीय आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांग जन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	लेखाकार/ आडिटर	9300-34800/ 4200 (लेवल-06)	अनुसूचित जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अनुसूचित जन जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			आर्थिक कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	—	—	01
			योग	01						—	01

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डोयक सोसायटी/नाइलिट (DOEACC / NIELIT) से “सी0सी0सी0” प्रमाण पत्र ।

2. पदनाम – भण्डार अधीक्षक

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	भण्डार अधीक्षक	5200-20200 / 2400 (लेवल-4)	अनुसूचित जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			आर्थिक कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	—	—	01
			योग	01							01

नोट :- उपरोक्त तालिका में अंकित पद के लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन किया जाना शासन स्तर पर प्रस्तावित है तथा लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन होने के पश्चात संशोधित लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) लागू होंगे।

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

3. पदनाम – भण्डार सहायक

कुल पद-07

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	भण्डार सहायक	5200-20200 / 2000 (लेवल-03)	अनुसूचित जाति	02	—	—	—	—	—	—	02
			अनुसूचित जनजाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	—	—	—	—	01	—
			आर्थिक कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	04	01	—	—	—	—	01	03
			योग	07	02					02	05

नोट :- उपरोक्त तालिका में अंकित पद के लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन किया जाना शासन स्तर पर प्रस्तावित है तथा लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन होने के पश्चात संशोधित लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) लागू होंगे।

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डोयक सोसायटी/ नाइलिट (DOEACC/NIELIT) द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

4. पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षेत्रिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यां गजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 / 2000 (लेवल-03)	अनुसूचित जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अनुसूचित जन जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			आर्थिक कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	01	—	—	—	—	01	—
योग				01	01	—	—	—	01	—	

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

5. पदनाम – प्राविधिक सहायक

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षेत्रिज आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यां गजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	प्राविधिक सहायक	5200-20200 / 2000 (लेवल-03)	अनुसूचित जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अनुसूचित जन जाति	—	—	—	—	—	—	—	—
			अन्य पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			आर्थिक कमजोर वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—
			सामान्य	01	—	—	—	—	—	—	01
योग				01	—	—	—	—	—	01	

नोट :- उपरोक्त तालिका में अंकित पद के लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन किया जाना शासन स्तर पर प्रस्तावित है तथा लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) में संशोधन होने के पश्चात संशोधित लेवल (वेतनमान व ग्रेड वेतन) लागू होंगे।

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कृषि या प्राणि विज्ञान या रसायन विज्ञान या जैव रसायन से स्नातक उपाधि।

6. पदनाम – सहायक लेखाकार

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					कुल क्षेत्रीय आरक्षण	ओपन कैटेगिरी
					उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%		
01	सहायक लेखाकार	5200-20200 / 2800 लेवल-05	अनुसूचित जाति	01	-	-	-	-	-	-	01
			अनुसूचित जन जाति	-	-	-	-	-	-	-	-
			अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-
			आर्थिक कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-
			सामान्य	01	-	-	-	-	-	-	01
			योग	02							

(ii) शैक्षिक अर्हता :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डोयक सोसायटी/नाइलित (DOEACC/NIELIT) से "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र।

07. लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम :-

- चयन के लिये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 100 अंकों की 02 घण्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type With Multiple Choice) की होगी। जिसमें बहुविकल्प प्रश्न, जो कि उत्तराखण्ड की संस्कृति करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, उत्तराखण्ड की भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर एजुकेशन रिजनिंग से सम्बन्धित होंगे।
- पदनाम कनिष्ठ सहायक हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कम्प्यूटर टाईपिंग हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो तथा एक पद के विरुद्ध टाईपिंग हेतु टॉप 07 अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

08. लिखित प्रतियोगी परीक्षा :-

- सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

- (ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (iii) गलत उत्तरों के लिये दण्ड-वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा :-
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हों, फिर भी उस प्रश्न के लिये उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिये कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।
- (iv) लिखित परीक्षा ऑनलाईन होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिये गये उत्तर यथाप्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जायेंगे।

9.चयन प्रक्रिया :- उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 38/xiv-1/21-7(3)/2016 सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 दिनांक 17 फरवरी 2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन स्टाफ (षष्ठम संशोधन) विनियमावली के अनुसार इस निगम के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अनुरूप उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

अधिमान :- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। परन्तु कनिष्ठ सहायक पद हेतु निर्धारित मानक के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी की टंकण गति के अंक भी सम्मिलित किये जायेंगे। टंकण परीक्षा पृथक से आयोजित की जायेगी।

10. आवेदन पत्र भरने तथा उनका प्रेषण करने का तरीका :-

1. आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट www.ukswc.org में दिये गये लिंक में ऑनलाईन सावधानी पूर्वक भरकर ऑनलाईन ही जमा करेंगे तथा उसकी हार्ड कापी प्रिन्ट निकालकर उसके साथ समस्त वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न करते हुये दिनांक 31.01.2022 को सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा "क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, टी0वी0एस0 परिसर, नियर इन्दिरा चौक, काशीपुर रोड रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) पिन कोड-263153" के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर पदनाम (जिस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं) तथा श्रेणी व उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।
2. साधारण डाक/कोरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, जिसमें उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित हों, चस्पा करेंगे।
4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9×4 साइज का एक खाली लिफाफा अपने पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपका कर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक होंगी -
क- अभ्यर्थी के उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जायेगा।
ख-शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
ग-आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

घ-निगम में कार्य करने का अनुभव यदि हों, तो निगम के सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय प्रबन्धक) द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

ङ-सेवायोजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

6. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क के पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन एवं बिना स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा इसके उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

11. **आयु :-** उक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई 2021 है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 191/XXX(2)/2021-30(10)2019 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की निर्धारित तिथि 01 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं चाहिये।

अधिकतम आयु सीमा में छूट :- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिक एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के लिये समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

नोट :- जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होंगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी। अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

ग. आरक्षण :-

i- **ऊर्ध्व आरक्षण :-** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लें।

ii- **क्षैतिज आरक्षण :-** महिलायें, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट :-

- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी जो उसके लिये अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
 - आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, जिसकी मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. **शारीरिक स्वस्थता :-** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति से पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. **आवेदन हेतु पात्रता :-** आवेदन करने के लिये वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। उक्त परन्तुक की शर्त पूर्ण करने हेतु प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा संलग्न किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो।
14. **चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिये नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
15. **वैवाहिक स्थिति :-** सेवा में किसी पद के लिये अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नीयों जीवित न हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो।
16. **अनुभव :-** उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम में पूर्व से कार्यरत संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों को अधिकतम 10 अंक (अनुभव एक वर्ष के लिये 02 अंक) दिये जायेंगे। निगम का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
17. परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु निगम का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
18. **परीक्षा शुल्क :-** बैंक ड्राफ्ट जो "उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम" के नाम जो रुद्रपुर में देय हो, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है जिन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न नहीं होगा वह आवेदन स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

क्र०सं०	श्रेणी/वर्ग	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 750.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 500.00

19. **अन्य :-**

1. अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगे।
2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम से सेवाच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
3. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिये किसी भी प्रकार के अनैतिक दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।
5. अभ्यर्थी परीक्षा से सम्बन्धित नवीनतम सूचना हेतु समय-समय पर निगम की वेबसाइट www.ukswc.org देखते रहें।
6. अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड निगम की वेबसाइट www.ukswc.org पर अपलोड किये जायेंगे जिसे वह डाउनलोड कर सकते हैं तथा उनके द्वारा फार्म भरते समय अंकित की गयी ई-मेल आई०डी० पर भी प्रेषित कर दिये जायेंगे।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम
प्रधान कार्यालय रुद्रपुर